

सं० सं० 14/एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 30.3.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

| क्रमांक | मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या | बीमारी का नाम | अनुदान की राशि |
|---------|---|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | रामदेव प्रसाद पिता-स्व. ठकुरी प्रसाद मो०-इस्ट अशोक नगर सम्राट कालोनी, पो०-लोहीयानगर थाना-कंकड़बाग जिला-पटना केस फाइ नं०-सीएन/03948 | कैंसर रोग | ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत। |
| 2 | मुकेश कुमार सिंह पिता-कान्त प्रसाद सिंह ग्राम-पूरा पो०-थाना-वजीरगंज जिला-गया केसफाइलनं०-सीएम/27732 | कैंसर रोग | ₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत। |
| 3 | मो० सईद अंसारी पिता-मो० मुस्तफा अंसारी ग्राम-पो०-मदरना थाना+जिला-वैशाली केसफाइलनं०-सीएन/03455 | कैंसर रोग | ₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत। |
| 4 | नत्थन प्रसाद यादव पिता-स्व. दुर्गा प्रसाद यादव ग्राम-आजाद नगर, वार्ड नं०-9 पो०+थाना+जिला-मधेपुरा केसफाइलनं०-सीएन/05683 | कैंसर रोग | ₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत। |

20/11/17
7/4/17

| | | | |
|---|--|-----------|---------------------------------|
| 5 | मास्टर बिट्टु कुमार पिता- रामजी यादव ग्राम+पो0-आनन्दपुर थाना-लक्ष्मीपुर जिला-जमुई पंजीकरण-सीएल/12809 | कैंसर रोग | ₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत। |
| 6 | संजीत कुमार पिता-सुरेन्द्र कुमार दास ग्राम-अहियापुर पो0-गोपालबाद थाना-सरमेरा जिला नालंदा केसफाइलनं0-सीएम/37876 | कैंसर रोग | ₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत। |
| | | | कुल ₹ 5,00,000/ |

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,00,000/- (पांच लाख) रूपया का क्रास चेक सं०....
509291... मूल रूप में संलग्न है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 528141

पटना, दिनांक 08.04.16
प्रतिलिपि-लेखापाल,स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.04.16